

राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप-10)विभाग

क्रमांक: प018(3)गृह-10 / 16

दिनांक 07.08.2018

आदेश

निम्नलिखित सहायक निदेशक अभियोजन के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारण से लोक हित में किये जाते हैं:-

क्र0सं0	नाम सनिअ	कहाँ से	कहाँ को	विवर0
1.	श्री आसनदास मूलवानी	सनिअ, पीसीपीएनडीटी स्वास्थ्य विभाग, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	सहायक निदेशक अभियोजन, दौसा	श्री भारद्वाज के स्थान पर
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार भारद्वाज	सहायक निदेशक अभियोजन, दौसा	अपर लोक अभियोजक, एडीजे न्यायालय, शाहपुरा जिला जयपुर	श्री अली के स्थान पर
3.	श्री सैयद महमूद अली	अपर लोक अभियोजक, एडीजे न्यायालय शाहपुरा जिला जयपुर	सनिअ, एसीबी न्यायालय सं0 3 जयपुर	श्री चिश्ती का स्थानान्तरण निरत किये जाने के फलस्वरूप तुए रियत पर पर

क्र.सं. 03 स्थानान्तरण स्वेच्छिक हैं। नियमानुसार इन्हें यात्रा भता एवं अन्य कोई लाभ देय नहीं होगा।


(रमेश कुमार शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय गृहमंत्री महोदय।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
- महानिदेशक, पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यरो।
- शासन सचिव, विधि, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
- सम्बन्धित जिला कलक्टर।
- निदेशक अभियोजन को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- सम्बन्धित उप/सहायक निदेशक अभियोजन।
- सम्बन्धित अधिकारी।
- निजी पत्रावली।
- रक्षित पत्रावली।


विशिष्ट शासन सचिव, गृह


राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप-10)विभाग

क्रमांक: प018(3)गृह-10 / 16

दिनांक 07.08.2018

आदेश


इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.07.2018 से सहायक निदेशक अभियोजन के स्थानान्तरण/ पदस्थापन सूची में कम संख्या 5 पर अंकित श्री अब्दुल समद चिंशी, सहायक निदेशक अभियोजन का पीसीपीएनडीटी स्वास्थ्य विभाग जयपुर से सनिअ, एसीबी न्यायालय संख्या 3 में किया गया स्थानान्तरण प्रशासनिक कारण से निरस्त किया जाता है।


(रमेश कुमार शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय गृहमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
3. महानिदेशक, पुलिस/प्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
5. सम्बन्धित जिला कलक्टर।
6. निदेशक अभियोजन को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
7. सम्बन्धित उप/सहायक निदेशक अभियोजन।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. निजी पत्रावली।
10. रक्षित पत्रावली।


विशिष्ट शासन सचिव, गृह